प्रधानमंत्री मोदी ने ट्राइसिटी को दी तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात

आईटी सिटी-कुराली छह लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन, जीरकपुर बाईपास और पीआर-7 स्पर का शिलान्यास

समर न्यूज | चंडीगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राइसिटी (चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला) और आसपास के क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मोहाली जिले में आईटी सिटी से कुराली तक बने छह लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही छह लेन वाले जीरकपुर ग्रीनफील्ड बाईपास और अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से जुड़े पीआर-7 स्पर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया।

आईटी सिटी-कुराली छह लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के चालू होने से मोहाली, खरड़ और कुराली के बीच यात्रा का समय कम होगा। यह परियोजना पंजाब का हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से सड़क संपर्क भी अधिक सुगम बनाएगी। इसके अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने छह लेन वाले जीरकपुर ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखी। परियोजना पूरी होने के बाद जीरकपुर-पंचकूला मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होगा। इससे ट्राइसिटी में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा और यात्रियों को लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की संभावना है। करीब 10.3 किलोमीटर लंबे पीआर-7 स्पर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण एनएच-205ए को जीरकपुर बाईपास, एयरोसिटी और चंडीगढ़ से जोड़ेगा। इसके शुरू होने के बाद लंबी दूरी के वाहन जीरकपुर के घनी आबादी वाले हिस्सों में प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे यातायात अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

चंडीगढ़ को होगा सबसे अधिक लाभ

इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ चंडीगढ़ को मिलने की संभावना है। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की ओर जाने वाले हजारों वाहन शहर और ट्राइसिटी की सड़कों से होकर गुजरते हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर अक्सर जाम की स्थिति बनती है। नए कॉरिडोर और बाईपास बनने के बाद स्थानीय और लंबी दूरी के यातायात को अलग किया जा सकेगा।

ईंधन की बचत और सड़क सुरक्षा में सुधार

बाहरी यातायात के वैकल्पिक मार्गों पर स्थानांतरित होने से मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग, चंडीगढ़-जीरकपुर मार्ग तथा मोहाली और पंचकूला को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर दबाव घटेगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार आने की उम्मीद है।

व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारियों के अनुसार नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और बाईपास से मालवाहक वाहनों की आवाजाही अधिक तेज और सुगम होगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बीच सड़क संपर्क और अधिक मजबूत होगा, जिससे ट्राइसिटी क्षेत्र क्षेत्रीय विकास के नए केंद्र के रूप में उभर सकेगा।

मोहाली में इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल हब के लिए पुनर्वास क्षेत्रों की घोषणा, परियोजना को मिली रफ्तार

परिवारों के पुनर्वास की रूपरेखा तय, बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे

- उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने मोहाली में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल हब परियोजना को आगे बढ़ाते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए निर्धारित क्षेत्रों की घोषणा कर दी है। सरकार का कहना है कि पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि विकास परियोजनाओं के साथ उनके हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस निर्णय के बाद लंबे समय से प्रस्तावित परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पुनर्वास क्षेत्रों का चयन सड़क, बिजली, पेयजल, सीवरेज, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। संबंधित विभागों को पुनर्वास स्थलों पर आधारभूत ढांचा विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नीति के अनुरूप की जाएगी।

मोहाली में विकसित होने वाला इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल हब राज्य की प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल है। इसके पूरा होने पर नए उद्योगों को आकर्षित करने, निवेश बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए आधुनिक व्यावसायिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना भी है।

पुनर्वास और मुआवजे पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया लागू नियमों और नीति के अनुरूप होगी। प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और अन्य सुविधाएं तय मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल हब के विकसित होने से मोहाली क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इससे घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पंजाब के औद्योगिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

मोहाली रेलवे स्टेशन को 11 करोड़ रुपये से मिला नया स्वरूप

गुरशरण सिंह। मोहाली
समर न्यूज

गुरुद्वारे की वास्तुकला से प्रेरित साहिबजादा अजीत सिंह नगर रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित प्रवेश द्वार। - समर न्यूज

साहिबजादा अजीत सिंह नगर रेलवे स्टेशन का 11 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकास पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर इसे यात्रियों को समर्पित किया। स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

स्टेशन का नया भव्य प्रवेश द्वार गुरुद्वारे की वास्तुकला से प्रेरित है। सफेद रंग की आकर्षक इमारत यात्रियों को शांत और आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। स्टेशन के अग्रभाग को पारंपरिक सीमेंट और कंक्रीट की जगह ग्लास-रीइन्फोर्स्ड तथा फाइबर-रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से नया और आधुनिक स्वरूप दिया गया है। रेलवे स्टेशन के आसपास की सड़कों का पुनर्निर्माण करने के साथ पार्क में लैंडस्केपिंग की गई है। यहां 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, आधुनिक प्रतीक्षालय, यात्री-अनुकूल संकेतक, विस्तारित प्लेटफॉर्म, बेहतर पार्किंग एवं सर्कुलेटिंग एरिया तथा दिव्यांगजन-अनुकूल शौचालय तैयार किए गए हैं। स्टेशन के सिविल, विद्युत और दूरसंचार नेटवर्क को भी अपग्रेड किया गया है। प्रतीक्षालयों में करीब 30 लाख रुपये की लागत से नया फर्नीचर लगाया गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 600 मीटर कर दी गई है, जिससे एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के चढ़ने और उतरने में सुविधा होगी।

स्टेशन का नाम साहिबजादा अजीत सिंह के नाम पर होने और यहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के धार्मिक यात्राओं पर जाने को ध्यान में रखते हुए भवन का स्वरूप तैयार किया गया है। नए स्टेशन से मोहाली और ट्राइसिटी के यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित रेल सुविधाएं मिलेंगी।

काम का झांसा दे युवतियों की खरीद-फरोख्त का आरोप

प्रेस वार्ता में पीड़ित परिवार ने सुनाई आपबीती, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

निशान | मोहाली
समर न्यूज

मोहाली में नौकरी और फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर युवतियों को फंसाने और उनकी खरीद-फरोख्त किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं।

शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने मोहाली प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे पहले मोहाली से बठिंडा ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसकी खरीद-फरोख्त की गई। पीड़िता के अनुसार, जिन लोगों ने उसे खरीदा था, उन्होंने उसके पिता से डेढ़ लाख रुपये की मांग की। परिवार का कहना है कि मजबूरी में पिता ने गहने और जमीन बेचकर रकम का इंतजाम किया, जिसके बाद लड़की को वापस घर भेजा गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मोहाली के कुंभड़ा क्षेत्र की एक महिला नौकरी और फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाती है और बाद में उनकी खरीद-फरोख्त कर देती है।

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की, तो कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट भी की गई। प्रेस वार्ता में मौजूद समाजसेवियों ने पुलिस प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि तय समय के भीतर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच नहीं की गई और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर पुलिस थाने का घेराव किया जाएगा और थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू किया जाएगा।

इस मामले में थाना प्रभारी सतनाम सिंह से फोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल छुट्टी पर हैं। पुलिस पर लगाए गए आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं।

'सतलुज' को हटाने के खिलाफ दायर याचिका वापस

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पात्रता पर उठाए सवाल

- कोर्ट ने पूछा- जब निर्माता या निर्देशक ने चुनौती नहीं दी तो तीसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है याचिका दायर

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफार्म से हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जब फिल्म के निर्माता या निर्देशक स्वयं इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आए हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का औचित्य क्या है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष पंजाब निवासी शरवन सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्म से हटाए जाने को मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए इसे दोबारा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने सबसे पहले याचिकाकर्ता की लोकस स्टैंडी (याचिका दायर करने की पात्रता) पर सवाल उठाया।

अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता न तो फिल्म का निर्माता है और न ही निर्देशक, फिर वह इस मामले में जनहित याचिका कैसे दायर कर सकता है।इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, हम याचिका वापस ले लेंगे और इसे निर्देशक के माध्यम से दायर करेंगे। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज जैन पेश हुए। उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए कहा, इसमें जनहित का मुद्दा क्या है?" उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई अधिकार नहीं बनता। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिका में केवल इतना कहा गया है कि फिल्म हटाई गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस आदेश के तहत हटाई गई और उसका विवरण भी रिकार्ड पर नहीं रखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म को 5 जुलाई को प्लेटफार्म से हटाया गया था, जबकि 8 जुलाई को सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई।

इससे पहले किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया।इस पर पीठ ने पूछा, क्या फिल्म के निर्देशक ने किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दिया है? इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं किया गया।

याचिका में कहा गया था कि बिना किसी वैधानिक आदेश, न्यायिक निर्देश या सक्षम प्राधिकारी के आदेश का खुलासा किए फिल्म को हटाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही, उन दर्शकों के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने सदस्यता शुल्क देकर फिल्म देखने का अधिकार प्राप्त किया था।

मोहाली के मटौर में शामलात भूमि से अवैध कब्जा हटाया

समर न्यूज | मोहाली

गांव मटौर में शुक्रवार को सरकारी शामलात भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई शुरू होते ही कब्जाधारी परिवार की महिलाओं ने पुलिस के साथ बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते धक्कामुक्की में बदल गई। काफी देर तक मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने डेयरी के लिए बनाए गए अस्थायी तिरपाल शेड को बुलडोजर से गिराकर सरकारी जमीन कब्जामुक्त करा ली। कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता रणदीप बैदवान भी मौके पर पहुंचे, जहां उनकी डेयरी संचालक के साथ बहस हुई। संचालक ने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि निगम अधिकारियों ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बताया।

स्थानीय पार्षद गुरप्रीत कौर ने नगर निगम की बैठक में इस मामले को उठाया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई तय की गई। निगम ने एक दिन पहले मौके पर नोटिस चस्पा कर 24 घंटे में कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस सुरक्षा में अवैध शेड हटाकर सरकारी भूमि खाली करा ली गई।

समझौते की बैठक में युवक की चाकू घोंपकर हत्या जिम में बॉडी शेमिंग से शुरू हुआ विवाद बना जानलेवा

नौकरी से निकलवाने के आरोप के कारण दोनों के बीच चल रहा था तनाव

- पंचकूला पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज की

समर न्यूज। पंचकूला

हरियाणा के पंचकूला में आपसी समझौते के लिए बुलाई गई बैठक खूनी संघर्ष में बदल गई। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत एक जिम में कथित बॉडी शेमिंग से हुई थी। बाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे को नौकरी से निकलवाने के आरोप के कारण दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया।

पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के परिचितों ने विवाद खत्म कराने के लिए बैठक रखी थी। शुरुआती बातचीत के दौरान माहौल सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही देर में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और एक आरोपी ने युवक पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जांच अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा था। जिम में कथित अपमान और बाद में नौकरी से हटाए जाने की घटना के बाद दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ था। पुलिस पुराने विवाद, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी खंगाल रही है।

पुलिस की जांच जारी

पंचकूला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज तथा फोरेंसिक साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है।

परिजनों में रोष

घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया जाएगा।

पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर हाई कोर्ट हुआ सख्त

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के विभिन्न नगर परिषदों और नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (ईएसएमए) लागू करने की संभावना पर विचार करने की छूट दी है।

अदालत ने साथ ही राज्य सरकार से सफाई व्यवस्था बहाल करने और गतिरोध समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस पंकज जैन ने यह टिप्पणी प्रदीप कुमार, सनीत ग्रेवाल और जसविंदर सेखों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पंजाब के विभिन्न नगर परिषदों में सफाई सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति का समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का समय भी मांगा। इस पर हाई कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई निर्धारित कर दी और कहा, इस बीच राज्य आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की संभावना भी तलाश सकता है। आरोप है कि सरकार व संबंधित अधिकारियों ने राज्यभर में निर्बाध सफाई व्यवस्था बहाल करने विफलता दिखाई है।

यात्रा आने वाले दिनों में मोहाली विधानसभा क्षेत्र से प्रतिदिन 6 बसें रवाना करने का लक्ष्य

विधायक कुलवंत सिंह की अगुवाई में 3 बसें रवाना

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज

पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज मोहाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलवंत सिंह की अगुवाई में श्रद्धालुओं से भरी तीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

गांव गीगे माजरा में बसों को रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि यह पहली बार है कि एक ही गांव से श्रद्धालुओं की दो बसें इस योजना के तहत रवाना हुई हैं, जो क्षेत्र के लोगों के उत्साह और योजना की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि तीसरी बस गांव गिद्दड़पुर से रवाना की गई।

विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा एवं उनकी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई यह योजना अत्यंत सफलतापूर्वक चल रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में विधानसभा क्षेत्र से केवल एक बस रवाना की जाती थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहले दो और अब प्रतिदिन तीन बसें रवाना की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रत्येक बस में मेडिकल टीम तथा गाइड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके ठहरने के लिए वातानुकूलित होटलों में कमरे बुक किए जाते हैं तथा भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पंजाब सरकार द्वारा की जाती हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को जिस स्थान से यात्रा के लिए रवाना किया जाता है, यात्रा पूर्ण होने के बाद उन्हें वहीं सुरक्षित वापस पहुंचाया जाता है।

विधायक कुलवंत सिंह ने बताया कि वर्तमान में श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब, श्री दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ वाल्मीकि मंदिर, बाघा बॉर्डर तथा जलियांवाला बाग के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरिद्वार तथा खाटू श्याम सहित अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मोहाली विधानसभा क्षेत्र से प्रतिदिन छह बसें तक रवाना की जाएंगी।

सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली उठाए गंभीर सवाल

- डीजीपी के रीडर समेत 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस मुख्यालय से जुड़े 13 लाख रुपए के कथित रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सीबीआई ने इस मामले में डीजीपी के तत्कालीन रीडर ओपी राणा, 2 बिचौलियों सहित 5 आरोपियों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि विजिलेंस ब्यूरो के भीतर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच कराए जाने की आवश्यकता है। सीबीआई के अनुसार, रिश्वत मामले की जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो केवल इस मामले तक सीमित नहीं हैं।

एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों में कथित प्रभाव, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ फर्जी शिकायतों के इस्तेमाल, गोपनीय दस्तावेजों तक अनधिकृत लोगों की पहुंच, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और निजी व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसे मामलों का उल्लेख किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि इन सभी पहलुओं की अलग से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि जांच के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी अलग से जांच आवश्यक है।